

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने हेतु राशि ` 115.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि ` 374.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 3,74,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को अनुदान हेतु राशि ` 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 4

समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना हेतु राशि ` 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 7

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर राज्यांश राशि ` 700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 8 से 9

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनांतर्गत अतिरिक्त राज्यांश राशि ` 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 10

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु राशि ` 166.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,66,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु राशि ` 35.20 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 35,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु राशि ` 0.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत आदिवासी विशेष पिछड़े जनजाति समूह हेतु राशि ` 1541.90 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 15,41,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण हेतु राशि ` 135.90 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,35,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 15 से 16

केन्द्र शासन से प्राप्त सहायता राशि से प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु व्यय की जानी है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 17

किशोरी बालिकाओं के कौशल उन्नयन, शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने हेतु व्यय का प्रावधान किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 18

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि ` 7965.34 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 79,65,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 19

भारत सरकार अलावा राशि से पोषित वन ग्रामों का विकास हेतु राशि ` 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 20 से 21

केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रोजेक्ट टाईगर में राशि ` 444.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,44,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 22-23

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनांतर्गत राज्य के गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वाले जिलों के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के भवन निर्माण पर राज्यांश राशि ` 76.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 24

118 अपूर्ण अनुसूचित जनजाति छात्रावास तथा आश्रम भवनों को पूर्ण करने हेतु राशि ` 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 25

विशेष केन्द्रीय सहायता माड़ा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु राशि ` 16.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 26

आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार हेतु अनुच्छेद 275(1)अन्तर्गत राशि ` 4275.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 42,75,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6215

मद क्रमांक 27

शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए नगरीय निकायों को देय ऋण हेतु राशि ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।